



शिक्षा तंत्र में समावेशन में बाधा पहुँचाने वाले कारकों का अध्ययन

Bala Devi, 981/A, Dev Colony, Rohtak (HR) INDIA

सार : समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ISSN : 2348-5612 © URR



9 770234 856124

परिचय : हमारी सम्पूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों, पेड़-पौधों, नदी नालों, स्थलाकृतियों आदि के रूप में यह विविधता ही प्रकृति का सौंदर्य है। हमारा समाज भी भिन्न-भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान-पान, आचार-व्यवहार, आस्था-मान्यता, धर्म-संप्रदाय आदि से संबंधित विविध व्यक्तियों व समुदायों से समृद्ध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय व लोगों की क्षमताएँ व खासियत अलग-अलग हैं। एक लोकतांत्रिक सत्ता व व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों व समुदायों के विकसने व एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेद-भाव के सुलभ कराए। परन्तु हमारे समाज ने मानव सभ्यता के विकास क्रम में सत्ता व व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों को देखा व उन वर्चस्ववादी ताकतों के अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। सहस्राब्दियों तक सुविधाविहीन, धन, प्रतिष्ठा व ताकत से महरूम एक बड़े वर्ग को सुविधायुक्त, बेहतर व सम्मानित जीवन जीने की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। सुविधाओं से वंचित किए जाने का आधार बना जन्म का कुल, लिंग, निवास स्थान, भाषा, आस्था व मान्यताएँ, धर्म व सम्प्रदाय आदि। ये आधार जो मूल रूप में विविधताएँ हैं के कारण किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष को विकसने के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता जन्म लेती है। इस प्रकार असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज में भिन्न-भिन्न जन व समुदाय विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य होते हैं।

1. बहुपरती शिक्षा प्रणाली : हमारे देश में विभिन्न स्तर एवं श्रेणियों के विद्यालय मौजूद हैं जिससे इनमें उपलब्ध शिक्षा अनुभवों में भारी फर्क है जिससे समाज में असमानताओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली द्वारा सृजित असमानता हाशिये पर स्थित बच्चे के बहिष्करण का कारक बनती है। हमारी शिक्षा



प्रक्रिया समावेशन के बजाय बहिष्करण के (Exclusion) को बढ़ावा देती है, भेदभावपूर्ण एवं असमानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली हासिये पर स्थित बच्चों के समावेशन में कोई मदद नहीं करती है। मुख्यतः दो समूह इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं।

बहिष्करण (Exclusion) की दृष्टि से दो संवेदनशील समूह हैं- पहला, आर्थिक/सामाजिक/लैंगिक आधार पर विशेष जरूरतों वाले बच्चे। और दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष जरूरतों वाले बच्चे।

समावेशी समाज का निर्माण करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलने पर-

- लोकतांत्रिक में सक्रिय भागीदारी के अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
- समावेशन के प्रति सक्रिय, सचेत एवं सहभागी दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

2. दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली : हमारी शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को भयादोहन के एक सशक्त औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में असफलता के लिए अधिगमकर्ता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है, शिक्षा प्रणाली/तंत्र की कोई जवाबदेही तय नहीं है। बच्चे के लिए शिक्षा का मतलब परीक्षा पास करना होता है और शिक्षक का उद्देश्य परीक्षा पास करने के लिए मशीनीकृत ढंग से बच्चे को इसके लिए तैयार करना। इतना ही नहीं दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे के समुचित समावेशन में बाधाएँ खड़ी करती हैं, जैसे-

- दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे को कुछ विषय विशेष में असफल घोषित करके छलनी का काम करती है इस प्रकार शिक्षा में समावेशन में बाधा पहुँचाती है। परीक्षा प्रधान शिक्षा प्रणाली बच्चों को बाहर धकेलने के औजार के रूप में प्रच्छन्न भूमिका का निर्वहन करती है, परीक्षा के भय एवं असफल होकर बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा तंत्र से बाहर हो जाते हैं।
- परीक्षा में असफलता के लिए एकमात्र बच्चे को जिम्मेदार मान लिया जाता है। सीखने-सिखाने के तौर तरीके, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों एवं विद्यालय के माहौल की समान रूप से जवाबदेही होनी चाहिए, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। वास्तव में परीक्षा में असफलता के लिए बच्चे के आलावा शिक्षा तंत्र/प्रणाली भी जवाबदेह है क्योंकि बच्चा कभी भी असफल नहीं होता है, स्कूल प्रणाली भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकती है।
- मूल्यांकन प्रणाली में सदैव यह जानने पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को क्या आता है/क्या नहीं आता है? मूल्यांकन प्रणाली में इस बारे में जाँच-पड़ताल करने की गुंजाइश होनी ही चाहिए कि बच्चे को इन सबके अलावा क्या-क्या आता है। मूल्यांकन में सीखने के क्षेत्रों को परम्परागत विषयों तक सीमित कर दिया जाता है तथा व्यक्तिगत विविधता का बखूबी हनन किया जाता है। परम्परागत हुनर, कौशल एवं समझ की उपेक्षा की जाती है।



3.विद्यालय तक पहुँच : विगत दो दशकों से भी अधिक समय से विविध परियोजनाओं की उपलब्धि के रूप में इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रारम्भिक स्तर के विद्यालय खोले गए हैं। विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1 किमी⁰ की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किमी⁰ की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लेने के दावे किए गए हैं। इसके आंकड़ागत साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बावजूद हम अभी भी यह दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे के शिक्षा प्रणाली में समावेशन की चाक चौबन्द व्यवस्थाएँ हमने कर ली हैं। बच्चे की पहुँच में विद्यालय होने के बावजूद अनेकों ऐसे व्यवस्थागत, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण मौजूद हो सकते हैं जो बच्चे के विद्यालय में पहुँचने में बाधक होते हैं। इन आधारभूत बाधाओं को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा प्रणाली में बच्चे के समावेशन के लक्ष्य को पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। विद्यालय की बच्चे तक पहुँच से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे की विद्यालय तक पहुँच। विशेष जरूरतों वाले बच्चे, बालिकाएँ, अपवंचित वर्गों के बच्चों के सन्दर्भ में यह गम्भीर रूप से विचारणीय विषय है। अभी भी दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचने के जोखिम कम नहीं हो पाए हैं।

4.विद्यालयी पाठ्यचर्या : विद्यालयी पाठ्यचर्या के नियोजन एवं क्रियान्वयन में परम्परागत स्वरूप अधिभावी है। एन0सी0एफ0 2005 के आलोक में पाठ्यचर्या निर्धारण की बातें की जाती हैं परन्तु अभी भी खामियाँ हैं। कुछ गम्भीर खामियों का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जैसे-

- विद्यालयी विषयों की विषय वस्तु बच्चे के अपने परिवेश एवं वातावरण से सम्बन्धित नहीं होती है। बच्चा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ नहीं पाता है, सूचनाओं के संग्रहण एवं रटन्त प्रणाली का संवाहक बनकर रह जाता है।
- विद्यालयी पाठ्यचर्या विद्यालय अनुभवों एवं जीवन के बीच ठोस रिश्ता स्थापित करने में असमर्थ रही है। विद्यालयी अनुभवों एवं जीवन के बीच अन्तराल बढ़ने पर बच्चे के बहिष्करण का खतरा बढ़ जाता है।
- पाठ्यवस्तु, चित्र, उदाहरण अधिकतर शहरी मध्यम वर्ग को प्रतिबिम्बित करते हैं। यह आम गैर शहरी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इतना ही नहीं यह बच्चे की आत्मछवि/अस्मिता को भी प्रभावित करता है, अपनी संस्कृति के प्रति हीनता बोध पैदा करता है।

5.बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षक का नजरिया : बच्चे के समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति बच्चे के नजरिए के प्रति जब शिक्षक संवेदनशील नहीं हैं, बच्चे के नजरिए का सम्मान नहीं करता है, किसी विशेष समूह के प्रति हेय दृष्टिकोण रखता है तो बच्चे का अपने समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है और बहुधा वह हेय समझने लगता है, स्वयं को हीन-दीन समझने लगता है। इसकी परिणति पलायन के रूप में होती है। यदि विद्यालय का वातावरण बच्चे के लिए असहज, असुरक्षित, अपमानित करने वाला, हीनता भाव पैदा करने वाला है तो बच्चे के शिक्षा से बहिष्करण के खतरे बढ़ जाते हैं। यह भी एक कटु सत्य है कि वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों



के साथ अक्सर ऐसा देखने में आता है। अतः स्वयं को विद्यालय में मिसफिट मानकर ये बच्चे बहिष्करण की प्रक्रिया अपना लेते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारणों को दूर किए बगैर समावेशन के लक्ष्य को पाना असम्भव है। यह प्रयास समुद्र तट की रेत पर कोई इबारत लिखने जैसा ही होगा जिसे समुद्री लहरें मिटाती रहेंगी, कम से कम शिक्षा में समावेशन समावेशन का तदर्थ प्रयास हमें लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता है।

संदर्भ

1. एन.सी.एफ. 2005.
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
3. भारतीय संविधान।
4. सर्व शिक्षा अभियान परियोजना-आधारभूत दस्तावेज